

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

ब्लॉक-5, द्वितीय एवं तृतीय तल

डा. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर

क्रमांक:-एफ-14 ()/यू-डाइस/राप्राशिप/जय/2023-24/6101

दिनांक:- 17/10/2023

एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (U-DISE+) के संबंध में परिपत्र

परिचय :-

एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (Unified-District Information System for Education) भारत सरकार के द्वारा विकसित प्रणाली है जिसमें राज्य के सभी राजकीय/गैर-राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की समस्त प्रकार की शैक्षिक सूचनाओं को संकलित कर कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस का निर्माण किया जाता है। प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जिले/ब्लॉक/संकुल/विद्यालय की शैक्षिक स्थिति का आंकलन किया जाता है। समकों के विश्लेषण पश्चात् कमजोरी क्षेत्रों में सम्बलन एवं निरन्तर अच्छे परिणाम हेतु मॉनिटरिंग व फोलोअप कार्यवाही की जाती है। शैक्षिक नियोजन में डाइस समंक उपयोग में लिए जाते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग व निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा भी यही डेटा उपयोग में लिया जाता है। यही डेटा राजस्थान सरकार व भारत सरकार को भिजवाया जाता है।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 से ऑफ लाईन एकत्रित यू-डाइस डाटा को संकलित की जाने वाली प्रक्रिया को बन्द कर समस्त राज्यों में यू-डाइस डाटा विद्यालयों द्वारा स्वयं के स्तर पर एनआईसी, नई दिल्ली द्वारा तैयार किये गये यू-डाइस प्लस पोर्टल पर फीड करवाने का निर्णय किया गया है। साथ ही आगामी माहों में उक्त सूचना को प्रतिमाह विद्यालयों द्वारा अपडेट भी किया जावेगा जिससे विद्यालयों की समस्त सूचनाएँ भारत सरकार के स्तर तक वास्तविक समय (Real Time) के अनुसार उपलब्ध हो सकें। सत्र 2022-23 में यू-डाइस पोर्टल पर नये डीसीएफ के अनुसार चाइल्ड वाइज एन्ट्री की गई थी। सत्र 2023-24 में चाइल्ड वाइज एन्ट्री का Promotion/Edit/Delete/Update/New Entry और Verification का कार्य किया जाना है। यह कार्य समस्त विद्यालयों (राजकीय/निजी) को अनिवार्यतः तय समय में पूर्ण किया जाना है।

वर्ष 2023-24 का डाटा एकत्र करने की प्रक्रिया-

विद्यालय सूची का निर्माण - गत वर्ष के यू-डाइस डाटा से विद्यालय सूचियों का निर्माण किया जावेगा एवं नये जोड़े जाने वाले विद्यालयों को सूची में शामिल किया जावेगा। नये विद्यालय सत्र 2023-24 हेतु 20 अक्टूबर तक जोड़े जा सकते हैं। सत्र 2023-24 हेतु सूची का प्रारूप निम्न होगा:-

List of Schools

Name of District:

Name of Block:

S.No.	School Code	Name of School	Name of Nodal/PEEO School	Type of School by management	Type of School by category
				(Department of Education, Tribal Welfare Dept., Local body, Private Unaided, Social Welfare Department, Ministry of Labor, Kendriya Vidyalaya/Central School, Madarsa recognized (by Wakf board/Madarsa Board), Jawahar Navodaya Vidyalaya, Sainik Vidyalaya, Railway Vidyalaya, Central Tibetan School, Madarsa unrecognized, Sanskrit Education, State Government Minority Affairs Department, KGBV)	(Primary only with grades 1 to 5, Upper Primary with grades 1 to 8, Higher Secondary with grades 1 to 12, Upper Primary only with grades 6 to 8, Higher Secondary with grades 6 to 12, Secondary with grades 1 to 10, Secondary with grades 1 to 12)
1	2	3	4		

Signature valid

Digitally signed by T. Shubhamangala

Designation: State Project Director

Date: 2023.10.17 16:45:25 IST

Reason: Approved

- समस्त डाटा पीईईओ/नोडल प्रधानाध्यापक/नोडल प्रधानाचार्यो द्वारा स्वयं अपने क्षेत्र की विद्यालय सूची के अनुरूप भरवाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में नोडल विद्यालय वह होगा जिसके प्रधानाचार्य को सम्बन्धित पंचायत के लिए पीईईओ घोषित किया गया है। शहरी क्षेत्रों के लिए नोडल UCEEO होंगे।
- समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों के डाटा फीड करवाने का दायित्व नोडल संस्था प्रधान का रहेगा।
- डाइस डाटा फीडिंग विद्यालयों द्वारा यू-डाइस प्लस पोर्टल पर ऑनलाईन की जायेगी।
- उक्त डाटा पीईईओ/नोडल प्रधानाध्यापक/नोडल प्रधानाचार्यो स्वयं के पर्यवेक्षण में विद्यालयों द्वारा ऑनलाईन फीडिंग करवायेंगे।
- ब्लॉक स्तर पर सीबीईओ/एसीबीईओ/आर.पी./ब्लॉक एमआईएस विद्यालयों द्वारा फीड किये गये डाटा का सत्यापन करेंगे।
- जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/अति. जिला परियोजना समन्वयक/सहायक परियोजना समन्वयक/कार्यक्रम अधिकारी/एमआईएस ब्लॉकवार डाटा सत्यापित करेंगे तथा ब्लॉक से प्राप्त प्रमाण पत्रों के आधार पर डाटा का अन्तिमीकरण करेंगे।
- मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जिले का एक भी राजकीय/निजी विद्यालय यू-डाइस प्लस पोर्टल पर Data Feeding से वंचित नहीं रहा है। इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- जिला स्तर पर डाइस प्रभारी/एमआईएस का मुख्य दायित्व होगा कि वह सुनिश्चित करें कि विद्यालयों द्वारा डाटा फीडिंग सही व निर्धारित समय पर पूर्ण हो एवं सुनिश्चित करें कि सभी विद्यालयों का पूर्ण डाटा भरा गया है।
- मुख्यालय पर कार्यरत जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा) कार्यालय शिक्षा विभाग में पदस्थापित सांख्यिकी कार्मिक को अपने जिले के डाइस समंक गणना/विश्लेषण हेतु उपलब्ध करावें।
- कार्यालय अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में यू-डाइस 2023-24 हेतु Control Room स्थापित किया जाये।

प्रशिक्षण:-

- राज्य स्तर के यू-डाइस प्रकोष्ठ. द्वारा जिला स्तर के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक एवं प्रारम्भिक, अति. जिला परियोजना समन्वयक, सहायक परियोजना समन्वयक, सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, कार्यक्रम अधिकारी, एम.आई.एस. को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा एवं जिला स्तर द्वारा ब्लॉक स्तर के मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, अति. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (द्वितीय), डाइस प्रभारी (आर.पी.) एवं ब्लॉक एमआईएस को प्रशिक्षण देंगे।
- ब्लॉक स्तरीय अधिकारी PEEO & UCEEO को प्रशिक्षण देंगे।
- पीईईओ एवं शहरी नोडल विद्यालयों द्वारा अपने क्षेत्र के समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों के संस्था प्रधानों को प्रशिक्षण दिया जावेगा।
- राज्य स्तर पर उपनिदेशक, सहायक निदेशक एवं एम.आई.एस. द्वारा जिलों में कार्यरत एम.आई.एस. प्रभारियों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आवश्यक निर्देश :-

- डाटा की फीडिंग में पूर्ण सावधानी रखी जानी अपेक्षित है। इसके लिए प्रत्येक स्तर पर शत प्रतिशत जाँच कर प्रमाणीकरण किया जाना आवश्यक है।
- डेटा कंप्यूटरीकरण के पश्चात जिला, ब्लॉक तथा कलस्तर रिपोर्ट काउंट प्रत्येक स्तर पर जाँच कर सही राशियों में भरवाया जावे। राशियों में त्रुटि होने पर तुरंत जाँच कर सही करवाया जावे।

Signature valid

Digitally signed by Shubhamangala
 Digitally signed by Shubhamangala
 Date: 2023.10.17 16:45:25 IST
 Reason: Approved

प्रमाणीकरणकर्ता अधिकारी संस्थाप्रधान/पीईईओ/नॉडल प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

- विद्यालय/ब्लॉक/ज़िले की वार्षिक कार्य योजना निर्माण के समय यू-डाइस डेटा को ही आधार माना जावेगा एवं यू-डाइस डेटा ही किसी भी प्रकार की सूचना का आधार होगा।
- ज़िले के सभी राजकीय एवं निजी विद्यालयों में पूरा नाम एवं विद्यालय का यू-डाइस कोड अनिवार्यतः अंकित किया जावे।
- किसी भी विद्यालय द्वारा सूचना न देने की स्थिति में संस्था प्रधान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही सक्षम स्तर द्वारा की जावे।

डाइस के अन्तर्गत कवर किये जाने वाले विद्यालयों का प्रकार :-

- समस्त प्रकार के राजकीय, निजी, केजीबीवी, केन्द्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, जनजाति क्षेत्रीय विभाग, समाज कल्याण विभाग, रेलवे विद्यालय, सैनिक विद्यालय, मदरसा, अल्पसंख्यक मामलत विद्यालयों एवं समस्त प्रकार के विद्यालयों जिनमें पूर्व प्राथमिक कक्षा (आंगनवाड़ी को छोड़कर) 1-5, 6-8, 1-8, 9-10, 9-12, 6-12, 1-10, 6-10, 1-12 एवं 11-12 का अध्ययन कराया जाता है।

विद्यालय प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के दायित्व :-

- यू-डाइस प्रपत्र के आधार पर जिले/ब्लॉक/विद्यालय की वार्षिक कार्य योजना का निर्माण किया जाता है, अतः सूचना का महत्व को देखते हुए सभी विद्यालयों के संस्थाप्रधानों का दायित्व है कि :-
 - विद्यालयों द्वारा यू-डाइस के सभी दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर, उनके अनुरूप ही ऑनलाईन पोर्टल पर सही एवं प्रामाणिक सूचना दी जावे।
 - विद्यालय की सभी सूचनाएं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर **30 सितम्बर 2023** को आधार तिथि के अनुसार भरी जावे। अपूर्ण एवं गलत सूचना के लिए संस्था प्रधान स्वयं जिम्मेदार होंगे।
 - भरे हुये सूचना संकलन प्रपत्र को एसएमसी/एसडीएमसी के दो गैर-शिक्षक सदस्यों द्वारा प्रमाणित कराया जावे।
 - विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय रिपोर्ट कार्ड का जनवाचन आयोजित कार्यक्रमों में जन प्रतिनिधियों एवं साधारण सभा के सम्मुख किया जावे।

पीईईओ/नॉडल प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य के दायित्व:-

- संकुल स्तर पर समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों का सूचीकरण, संकुलवार किया जावेगा।
- सभी पीईईओ/नॉडल प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य स्वयं के क्षेत्र के समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों के यू-डाइस डेटा ऑनलाईन पोर्टल पर संबंधित प्रधानाध्यापक से भरवाना सुनिश्चित करेंगे एवं मुख्य रिकार्ड (विद्यालय दस्तावेजों) से डेटा का मिलान करना सुनिश्चित करेंगे।
- विद्यालयों से निर्धारित समय सीमा के अन्दर डेटा ऑनलाईन भरा जाना सुनिश्चित करेंगे।
- विद्यालयों द्वारा डेटा शत प्रतिशत पूर्ण भरे जाने के पश्चात् विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा ऑनलाईन प्रमाण पत्र प्राप्त कर यू-डाइस प्लस पोर्टल पर अपलोड करवाना सुनिश्चित करेंगे।

ब्लॉक स्तर पर सीबीईओ के द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य:-

- यू-डाइस संबंधी सभी कार्मिकों से समन्वय कर यू-डाइस कार्यक्रम का उचित क्रियान्वयन करेंगे।
- ब्लॉक के समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों का सूचीकरण, पी.ई.ई.ओ./नॉडलवार किया जायेगा।
- वैध एवं विश्वसनीय डेटा हेतु प्रत्येक पी.ई.ई.ओ./नॉडल पर शत प्रतिशत प्रमाणीकरण चैकिंग स्वयं करना तथा अन्य कार्मिकों से मानदण्डानुसार कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- परिक्षेत्र में यू-डाइस प्लस 2023-24 में आने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे।
- परिक्षेत्र के समस्त विद्यालयों के यू-डाइस 2023-24 के डेटा का प्रमाणीकरण करेंगे।

ज़िला परियोजना कार्यालय के दायित्व:-

- सर्वप्रथम जिला/ब्लॉक अधिकारियों की सूचना यू-डाइस प्लस पोर्टल पर अपडेट कर
- ज़िले के समस्त विद्यालयों का सूचीकरण एवं पीईईओ/नॉडलवार करवाया जावे और राजकीय विद्यालयों का निर्धारण।

Signature valid

Digitaly signed by
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.17 16:45:25 IST
Reason: Approved

- वैध एवं विश्वसनीय डेटा हेतु प्रत्येक ब्लॉक/क्लस्टर एवं विद्यालय स्तर पर सीडीईओ, एडीपीसी, एपीसी, पीओ आदि के माध्यम से शत प्रतिशत प्रमाणीकरण करवाया जावेगा।
- आंकड़ों की वैधता व विश्वसनीयता हेतु विश्लेषण करना एवं जिले के कम से कम 50 विद्यालयों के ऑनलाईन भरे गये डाटा की **सेम्पल चैकिंग** करना। गत वर्षों के डेटा व अन्य स्रोतों के आंकड़ों से तुलना करना।
- ब्लॉक/पीईईओ/विद्यालय स्तर पर डाइस डाटा समय सीमा में भरे जाने हेतु सम्बलन प्रदान कराना।
- यू-डाइस कार्य की शत प्रतिशत मॉनिटरिंग एवं समय-समय पर डाटा संग्रहण करवाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करना सुनिश्चित करेंगे।

राज्य स्तरीय कार्यालय के दायित्व:-

- जिला/ब्लॉक/पीईईओ/नॉडल विद्यालय स्तर पर विद्यालय से आ रही कठिनाईयों का समाधान करने हेतु नियन्त्रण कक्ष स्थापित कर तत्काल निवारण की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करेंगे।
- विभिन्न स्तर के अधिकारी/कार्मिकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एवं समय-समय पर विभागीय आदेश जारी करवाकर मार्गदर्शन प्रदान करना।
- राज्य परियोजना कार्यालय के अधिकारी/कार्मिक जिला एवं ब्लॉक स्तर पर जाकर 5 प्रतिशत सैम्पल विद्यालयों के डाटा जांच करना सुनिश्चित करेंगे।
- सांख्यिकी कार्मिक को गणना एवं विश्लेषण तथा परीक्षण हेतु सूचना उपलब्ध करवाना।
- जिला प्रभारी अधिकारियों के माध्यम से अपने जिले में विजिट के दौरान विद्यालयों द्वारा भरे गयी यू-डाइस की सूचना एवं प्रमाण पत्र की जांच करवाई जायेगी।

डाइस डेटा के उपयोग:

डाइस डाटा का निम्नानुसार उपयोग सुनिश्चित करें -

- सिविल निर्माण कार्यो की स्वीकृति यू-डाइस डेटा में प्राप्त आवश्यकता के आधार पर किया जावे।
- शिक्षक प्रशिक्षण, विद्यालय अनुदान एवं अन्य अनुदान राशि आदि यू-डाइस डेटा के अनुसार संबंधित विद्यालयों को दी जावे।
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर मांगी जाने वाली विभिन्न सूचनाओं में डाइस डाटा का ही शत प्रतिशत उपयोग किया जावे।
- शौचालय की व्यवस्था, बालक एवं बालिका हेतु पृथक-पृथक पीने के पानी की सुनिश्चितता हेतु डाटा का विश्लेषण करना। यदि विसंगति हो तो उक्त व्यवस्था हेतु विद्यालय का भौतिक सत्यापन कराना। किसी भी वित्तीय संसाधनों से उक्त व्यवस्था को सुनिश्चित कराना।

(डॉ. टी शुभमंगला)
राज्य परियोजना निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल परिषद्, जयपुर।
3. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, राजस्थान।
4. निदेशक, जनजति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
5. निदेशक, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, जयपुर।
7. उपायुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, जयपुर।
8. उपायुक्त, नवोदय विद्यालय संगठन, जयपुर।
9. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (प्रथम/द्वितीय), समग्र शिक्षा, जयपुर।
10. वित्तीय सलाहकार, समग्र शिक्षा, जयपुर।
11. समस्त उपायुक्त, समग्र शिक्षा, जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.17 16:45:25 IST
Reason: Approved

12. सचिव, मदरसा बोर्ड, शिक्षा संकुल, जयपुर।
13. अधीक्षण अभियंता, समग्र शिक्षा, जयपुर।
14. प्रभारी अधिकारी शाला दर्पण एवं पीएसपी, कार्यालय निदेशक प्रा./मा. शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
15. प्रभारी अधिकारी शाला दर्पण एवं पीएसपी, कार्यालय राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
16. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, परिषद् कार्यालय, समग्र शिक्षा, जयपुर।
17. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले।
18. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
19. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
20. सहायक अभियंता, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
21. कनिष्ठ अभियंता, समग्र शिक्षा, समस्त ब्लॉक।
22. समस्त राजकीय/निजी/केजीबीवी/केन्द्रीय विद्यालय/जवाहर नवोदय विद्यालय/जनजाति क्षेत्रीय विभाग / समाज कल्याण विभाग/रेलवे विद्यालय/ सैनिक विद्यालय/मदरसा विद्यालय के संस्था प्रधान।
23. प्रोग्रामर, रास्कूशिप, जयपुर को भेजकर लेख है की SD/PSP/SMSA Portal पर अपलोड करवाया जावे।
24. रक्षित प्रति।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (प्रथम)

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.17 16:45:25 IST
Reason: Approved

एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली 2023-24 का समयबद्ध कार्यक्रम

क्र.सं	गतिविधि	दायित्व
1	राज्य स्तर पर जिला अधिकारियों एवं एमआईएस प्रभारियों का प्रशिक्षण एवं यू-डाइस कोड की मैपिंग कार्य	राज्य यू-डाइस प्रकोष्ठ
2	जिलो द्वारा यू-डाइस 2023-24 में लिये जाने वाले विद्यलयों की सूची को तैयार करना।	अति.जिला परि. समन्वयक
3	ज़िले द्वारा नवीन विद्यालयों को यू-डाइस कोड उपलब्ध कराना	अति.जिला परि. सम. एवं जिला एमआईएस
4	जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को ऑनलाईन पोर्टल के संबंध में प्रशिक्षण देना	जिला स्तरीय यू-डाइस प्रकोष्ठ
5	ब्लॉक स्तर पर पीईईओ/शहरी नोडल प्रभारियों का ऑनलाईन पोर्टल के संबंध में प्रशिक्षण।	ब्लॉक स्तरीय अधिकारी
6	पीईईओ/UCCFO द्वारा अपने अधीनस्थ समस्त राजकीय व निजी विद्यालयों के संस्थाप्रधानों को प्रशिक्षण प्रदान करना	पीईईओ/नोडल संस्था प्रधान
7	विद्यालयों द्वारा डाटा फीड करने का कार्य (30 सितम्बर को आधार तिथि मानते हुए) करना	समस्त राजकीय/निजी विद्यलयों के संस्था प्रधान
8	सीबीईओ द्वारा स्वयं के ब्लॉक के समस्त विद्यालयों के डाटा को प्रमाणित करना	सीबीईओ/ब्लॉक एमआईएस /ब्लॉक कम्प्यूटर ऑपरेटर
9	जिला स्तर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं एमआईएस प्रभारी द्वारा समस्त डाटा का अन्तिमीकरण कर प्रमाण पत्र ऑनलाईन अपलोड करना।	मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं एमआईएस प्रभारी
10	यू-डाइस डाटा को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित करना।	राज्य यू-डाइस प्रकोष्ठ

नोट:—जिला स्तर पर यू-डाइस डाटा को अंतिम रूप देने का कार्य 30 अक्टूबर 2023 तक किया जाना है।

Signature valid

Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : State Project Director
Date: 2023.10.17 16:45:25 IST
Reason: Approved